न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 148/2025
जीसीएमएस संख्या – (2025/218)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण:–

1. प्रभुराम पुत्र राणाराम पटीर पुत्र चेलाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, स्टेशन रोड, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–

1. लक्ष्मणराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी गांव सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. प्रभुराम बरबड पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी गांव सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व मिसल संख्या 68/2008–09, संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.07.2008 की अनुपालना में पट्टा संख्या 101 दिनांक 01.10.2008 जो ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सोनी (प्रार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री नाथाराम चौधरी, श्री सांगाराम चौधरी व श्री दिनेश चौधरी (अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित)

–आदेश– **दिनांक : 15.04.2025**

1. संक्षिप्त में प्रार्थी का इस निगरानी में यह कथन रहा है कि ग्राम पंचायत सालावास के समक्ष अप्रार्थी सं. 1 ने आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.05.2008 को आवेदन पेश किया और दिनांक 05.07.2008 को ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रस्ताव सं. 3 के द्वारा पट्टा जारी करने का आदेश किया गया और जिस आदेश के अनुसरण में दिनांक 01.10.2008 को पट्टा सं. 101

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मिसल सं. 68/2008–2009 आवासीय भूमि का गलत एवं अनाधिकृत रूप से नियम विरूद्ध बिना भौतिक सत्यापन किये, बिना कब्जा के राजनैतिक आधार पर जारी किया गया, जो पट्टा रेस्पोंडेंट सं. 1 ने चाले–चाले अपने पक्ष में जारी करवाया जिसकी कोई सूचना ग्राम सभा में या प्रार्थी/याची व उक्त भूमि के संबंधित व्यक्तियों को नहीं दी गई, न ही सुनवाई का अवसर दिया गया तथा मौके का सत्यापन भी नहीं किया गया तथा कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति कर पट्टा जारी किया गया तथा ग्राम पंचायत ने गांव में किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना नहीं करवाई तथा पट्टा देने से पूर्व मौके की निरीक्षण रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई एवं जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया वह भूमि प्रार्थी के पूर्वज चेलाराम के द्वारा कब्जा कर मौके पर निर्माण कार्य करवाया गया, जिसमें चेलाराम के सभी उत्तराधिकारी का हक अधिकार है परंतु रेस्पोंडेंट सं. 1 को अकेले ही पूर्वजों की भूमि का पट्टा जारी करवाने का कानूनी हक अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के आदेश की जानकारी दिनांक 10.11.2012 को हुई, तब प्रार्थी ने जानकारी कर कार्यवाही व आदेश की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 20.11.2012 को प्राप्त होने पर यह पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत सालावास द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2008 को अवैध व शून्य तथा वादग्रस्त संपति के संबंध में किसी दस्तावेज को निष्पादित किया हो तो निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत की है। तथा निगरानी के समर्थन में म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगरानी में लिखित कथनों का इस पत्र में उल्लेख किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश सोनी ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से श्री नाथाराम चौधरी, श्री सांगाराम चौधरी व श्री दिनेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।

3. रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 के अधिवक्ता की ओर निगरानी में लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी याचिका एवं लिखित बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टा दिनांक 05.07.2008 को जारी हुआ है जबकि रसीद दिनांक 01.10.2008 को काटी गई है तथा शपथ पत्र बाद में दिनांक 09.08.2010 को क्यों पेश किया गया। पट्टा जारी होने के बाद दिया गया। इस शपथ पत्र [illegible] तस्दीक सुदा नहीं है। पेज 2 पर लक्ष्मणराम के हस्ताक्षर भी न[illegible] है। [illegible]क 05.05.2008 की पंचायत की पत्रावली की नोटशीट [illegible] कि आवेदन पेश किया है किंतु आवेदन पत्र पूर्व में प्रिन्टेड है तथा आवेदन में [illegible] के पडौसी भी अंकित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ऑर्डरशीट में दो व्यक्तियों के बयान होने का लिखा है परंतु एक के ही बयान उपलब्ध है। दिनांक 20.06.2008 की ऑर्डरशीट में आपत्ति जारी करना नहीं लिखा है। 1996 के नियम 145 से 161 तक की पालना नहीं की है। लादूराम व अशोक के बयानों के अनुसार कब्जा प्रभुराम का मौके पर है तथा झोपडी बनी हुई है। कमीश्नर की मौका रिपोर्ट हमारे पक्ष में है तथा मौके के फोटो अनुसार भी हमारा कब्जा है। पट्टा धारक लक्ष्मणराम ने दावा नहीं किया है। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमें किये, जिसमें हमे बरी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टे खारिज किये जावे।

5. रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से लिखित बहस की गई कि प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी म्याद बाहर एवं सही तथ्यों को छिपाते हुए पेश की गई। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेंट सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा की शुरू से जानकारी है। ग्राम सालावास के आबादी क्षेत्र मेघवालों के बास में अप्रार्थी सं. 1 के पिता मूलाराम का कब्जा सुद भूखण्ड स्थित था। मूलाराम के देहांत के बाद अप्रार्थी सं. 1 लक्ष्मणराम पुत्र मूलाराम का कब्जासुदा भूखण्ड रहा है, जिस भूखण्ड पर पूर्व में मूलाराम का पुराना रहवासीय मकान बना हुआ था, जो मुलाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनके पुत्र लक्ष्मणराम का था तथा मकान पुराना होने के कारण मौके पर ध्वस्त हो चुका है, मौके पर भूखण्ड खाली स्थित है। उस कब्जासुद भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी सं. 1 लक्ष्मणराम ने अपने नाम बनाने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत सालावास में पेश किया गया। आवेदन पर संपूर्ण विधिक प्रकिया को विधिवत रूप से अपनाते हुए ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.07.2008 को पट्टा जारी करने का आदेश करते हुए पट्टा सं. 101 मिसल सं. 68/2008–2009 दिनांक 01.10.2008 को जारी किया गया था। जिस पट्टा सुद भूखण्ड का स्वामित्व एवं आधिपत्य अप्रार्थी सं. 1 का है और अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पट्टा सुद स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड का बेचान अप्रार्थी सं. 2 प्रभुराम पुत्र मांगीलाल को दिनांक 22.10.2010 को करते हुए बेचाननामा निष्पादित कर उप पंजीयक चतुर्थ जोधपुर में पंजीबद्ध करवाया गया है। भूखण्ड खरीद करने के पश्चात् अप्रार्थी सं. 2 काबिज है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी प्रभुराम पुत्र राणाराम व प्रार्थी के पिता राणाराम पुत्र चेलाराम, भाई जोराराम, माधाराम, किशनाराम के विरूद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा का अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सं. 3, जोधपुर महानगर में पेश किया जिसकी दीवानी मूल वाद सं. 570/2017 बअनवान प्रभुराम बनाम प्रभुराम व अन्य में दिनांक 08.08.2019 को न्यायालय द्वारा भूखण्ड पर रेस्पोंडेंट सं. 2 प्रभुराम पुत्र राणाराम व अन्य का कब्जा होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मानते हुए रेस्पोंडेंट सं. 2 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है तथा रेस्पोंडेंट सं. 2 के पक्ष में पंजीबद्ध बैचाननामा के अस्तित्व में रहते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाने योग्य नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 02 को भूखण्ड बेचान कर बैचाननामा दिनांक 22.10.2010 को पंजीबद्ध करवाकर वास्तविक रूप से रेस्पोंडेंट सं. 2 को कब्जा सुपुर्द किया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थी/निगरानीकर्ता को दिनांक 22.10.2010 एवं इससे पूर्व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी पट्टा की जानकारी दिनांक 05.05.2008 को पट्टा बनाने का आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने के दिन से है, जिन सारे तथ्यों की जानकारी होते हुए भी प्रार्थी ने म्याद बाहर निगरानी प्रस्तुत की गई, जो खारिज होने योग्य होने का निवेदन किया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा ग्राम पंचायत सालावास से तलब मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तथ्यों पर मनन किया गया।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पट्टा जारी करने की जानकारी के तथ्य कब, कौनसी तारीख को हुई, इस बाबत दिन प्रतिदिन स्पष्ट नहीं किया गया परंतु म्याद के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय अपना लचीला रूख अपनाने को दृष्टिगत रखते हुए म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी को अंदर म्याद मानते हुए निगरानी को मेरिट पर निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, ग्राम पंचायत सालावास से प्राप्त मिसल सं. 68/2008, पट्टा बही में उपलब्ध पट्टा सं. 101 दिनांक 01.10.2008, अप्रार्थीगण द्वारा लिखित में प्रस्तुत बहस तथा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को का अध्ययन कर, उन पर मनन किया तथा प्रकरण में लागू कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किया। विश्लेषण इस प्रकार हैः—

a) अप्रार्थी सं. 1 लक्ष्मणराम ने दिनांक 05.05.2008 को एक आवेदन सरपंच, ग्राम पंचायत सालावास को आवासीय भूमि का पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी करने हेतु पेश किया, पंरतु प्रार्थना पत्र में भूमि का क्षेत्रफल, भूमि के पडौसों का विवरण अंकित नहीं किया है लेकिन प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में 30 फीट गुणा 100 फीट का प्लॉट [illegible] पडौस दर्शाए है। इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.05.2008 को [illegible]शिका अनुसार मौका निरीक्षण हेतु कमेटी में वार्ड पंच धन्नाराम, मोहम्मद [illegible]दीक व श्रीमती पानी देवी को नियुक्त कर दिनांक 20.05.2008 को मौके की स्थिति व रिपोर्ट मांगी। कमेटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 14:41:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ने प्रिन्टेड फार्म में 20.05.2008 को रिपोर्ट पेश की, जिस पर उक्त तीनों मोहम्मद सदीक, धनाराम व पानी देवी के हस्ताक्षर है परंतु मौका कब देखा, तारीख का कॉलम रिक्त है तथा ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा भूखण्ड का नक्शा भी तैयार नहीं किया है तथा प्रमाणित कर पेश भी नहीं किया है। इसी प्रकार दिनांक 05.05.2008 को ऑर्डरशीट में ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प का भी जिक नहीं है तथा ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार 1996 के नियम 146 की अवहेलना की गई है।

b) दिनांक 20.05.2008 की आदेशिका में निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्टि होने पर तथा प्रार्थी का पुराना कब्जा मानते हुए नियम 148 के तहत सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करके आपत्तियां आमंत्रित करने का अंकन है परंतु इसमें भी ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या का अंकन नहीं है तथा न ही दिनांक 20.05.2008 की ग्राम पंचायत की बैठक का कार्यवाही विवरण पेश किया गया है, जो कि आज्ञात्मक प्रावधान है तथा अगली तिथि 20.06.2008 तय की है।

c) पत्रावली पर सार्वजनिक सूचना दिनांक 20.05.2008 को जारी करने का पत्र उपलब्ध है परंतु इसमें डिस्पेच नंबर अंकित नहीं है। इसमें भूखण्ड का नाप अंकित नहीं है तथा इस पत्र की पुस्त पर इस प्रकार पृष्ठांकन है– ''नोटिस फर्द एक–मकान पर चस्पा की–लादुराम'' यह नोटिस किस तारीख को सार्वजनिक स्थानों, ग्राम पंचायत कार्यालय व आवेदित संपति पर चस्पा की तथा किन–किन मौतबिरान के सामने, किसने चस्पा की, इसका कोई विवरण इस नोटिस की परत पर अंकित नहीं है। चस्पा करने वाले की पूरी विगत व मौतबिरान की विगत भी अंकित नहीं है। नोटिस चस्पा करने की वास्तविक तारीख के अभाव में नियम 148 में विहित एक माह की अवधि की गणना करना संभव ही नहीं है तथा एक माह की न्यूनतम अवधि का प्रावधान आज्ञात्मक है। इस प्रकार सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करके प्राप्त आपत्तियों का बाद सुनवाई विधिवत निस्तारण करने का तथ्य साबित नहीं है। अतः इस नोटिस को पर्याप्त मानकर ग्राम पंचायत द्वारा की गई अग्रिम कार्यवाही अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested

d) दिनांक 20.06.2008 की आदेशिका में किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नहीं होने का अंकन करके नियम 157(क) के तहत पुराना कब्जा हेतु दो व्यक्तियों के बयान लेने का सर्वसम्मति से [illegible] द्वारा निर्णय लेने का अंकन

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है परंतु 20.06.2008 की बैठक के प्रस्ताव संख्या व कार्यवाही विवरण उपलब्ध ही नहीं कराया है।

e) दिनांक 05.07.2008 को आदेशिका में दो बयान लेने का कथन, पुराना कब्जा होने के आधार पर नियम 157(क) के तहत 200/—रूपये शुल्क लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय पंचायत द्वारा लेने का कथन है परंतु इसमें प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं है तथा न ही कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराया है।

f) पट्टा बही में मिसल सं. 68/2008–09 पट्टा संख्या 101, प्रारूप 23क (नियम 157(1)) के अंतर्गत दिनांक 01.10.2008 को अप्रार्थी सं. 1 लक्ष्मणराम पुत्र मूलाराम मेघवाल के नाम 3000 वर्ग फीट (333.1/4 वर्ग गज) का पट्टा जारी किया है, जिसमें प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2008 अंकित है।

राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत 200/— रूपये के शुल्क पर अधिकतम 300 वर्गगज तक का ही पुराना 50 वर्षो से अधिक निर्मित भवनों के होने की शर्त पर नियमितीकरण किया जा सकता है। 300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल होने पर डी.एल.सी. दरों से राशि वसूल की जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक में विहित प्रकिया का उल्लंघन करते हुए यह पट्टा जारी किया है।

अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष 50 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा होना तथा उस पर भवन निर्मित होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। भवन निर्मित होने का तथ्य साबित नहीं होने के कारण नियम 157(1) में नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जारी किया गया यह पट्टा निरस्त योग्य है।

8. उक्त पट्टा सं. 101 दिनांक 01.10.2008 की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 प्रभुराम पुत्र मांगीलाल को जरिये बेचान दस्तावेज संख्या 201000164 दिनांक 22.10.2010 को किया है तथा पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 3, जोधपुर महानगर द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 570/2017 में दिनांक 08.08.2019 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें निषेधाज्ञा के विरुद्ध प्रतिवादी सं. 2 है।

माननीय न्यायालय ने उक्त स्थाई निषेधाज्ञा में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 101, दिनांक 01.10.2008, बेचान दस्तावेज दिनांक 22.10.2010 व इस न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

द्वारा अदम पैरवी में हस्तगत निगरानी को दिनांक 25.09.2013 को खारिज करने के आधार पर दिनांक 08.08.2019 को एकपक्षीय जारी की है।

इस प्रकार माननीय सिविल कोर्ट में सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद था तथा घोषणात्मक डिक्री जारी करने का दावा नहीं था। माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की वैद्यता के बारे में सीधे तौर व सारभूत विवाद का मामला नहीं था। इस प्रकार विवादग्रस्त पट्टे की वैद्यता की जांच करने का क्षेत्राधिकार धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इस न्यायालय को है। माननीय सिविल न्यायालय ने पट्टे की कानूनी मान्यता या वैद्यता पर कोई विनिश्चय नहीं दिया है। ऐसा ही विनिश्चय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने S.B.C.W.P. No. 7076/2005 निर्णय दिनांक 06.04.2009 (ढलाराम बनाम स्टेट) में दिया है।

S.B.C.W.P. No. 7675/2011 श्रीमती सायरा बनाम स्टेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निर्णय दिनांक 15.07.2016 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है।

हमारे सक्षम अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई अभिलेख पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि सिविल कोर्ट में पक्षकारों के हकों (Title) के निर्धारण का कोई घोषणात्मक वाद लंबित है या डिक्री कर दिया गया है।

चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य–2000(2) W.L.C.(Raj)-1 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (Full Bench) ने अभिनिर्धारित किया है कि अगर विधि प्रावधानों की अवहेलना करके पट्टा जारी किया है तो उसे कभी भी आक्षेपित किया जा सकता है।

S.B.C.W.P. No. 5735/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2024 अनुसार धारा 97 में निगरानी पेश करने हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं है।

S.B.C.W.P. No. 5324/2022 (बुंदू खान बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत, झंग) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच निर्णय दिनांक 27.07.2022 में इस प्रकार विनिश्चिय किया गया है।

"Suit was for permanent injuction only in which title of the parties qua the subject land was not an issue. Therefore contention of dismissal of suit for permanent injuction, is misplaced and misconceived."

9. रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने के संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रतिपादित है:–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested

i. D.B. Civil Special Appeal Writ No. 656/2017 झूमरराम बनाम अति. कलक्टर–द्वितीय, जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 में कमला देवी बनाम स्टेट D.B.C. SAW No. 136/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2017 का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा 1996 के नियमों के विपरीत जारी रजिस्टर्ड पट्टे को धारा 97 के अंतर्गत निगरानी में निरस्त किया जा सकता है।

ii. धेवरचंद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2017(3) RJT-1995 में निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी अवैध रजिस्टर्ड पट्टे को धारा 97 के तहत निगरानी में खारिज किया जा सकता है।

iii. नागरमल बनाम अति. कलक्टर, सीकर 2013(1) WLC(Raj)-768 पैरा 6 व नगर परिषद, पाली बनाम दीनदयाल D.B.Civil SAW No. 485/2017 निर्णय दिनांक 16.07.2015 में भी उक्त मत व्यक्त किया गया है।

iv. D.B.Civil SAW No. 175/2021 खुशाल सिंह बनाम स्टेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निर्णय दिनांक 03.03.2022 में अभिनिर्धारित किया है कि नियम 157(1) के तहत अधिकतम 300 वर्ग गज तक की भूमि का ही पट्टा जारी किया जा सकता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विनिश्चयों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों अनुसार पंजीबद्ध पट्टे को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी में खारिज किया जा सकता है।

10. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद संपति से बेहतर स्वामित्व (Title) हस्तांतरित नहीं कर सकता (Nemo dat quod non-habet) अर्थात कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है और यदि कोई दूसरे के सामान के साथ उसके अधिकार के बिना सौदा करता है, तो वह लेनदेन उस अन्य के विरूद्ध कानून में निरर्थक है इसलिए एक व्यक्ति चाहे, कितना भी निर्दोष हो, जो किसी ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदता है, जो मालिक नहीं है, उसे कोई भी संपत्ति प्राप्त नहीं होती है।

अतः अप्रार्थी सं. 01 के पास अप्रार्थी सं. 02 को हस्तांतरित विवादित भूखण्ड का वैद्य टाईटल ही नहीं था, तो अप्रार्थी सं. 02 को विवादित भूखण्ड पर कोई टाईटल प्राप्त नहीं हो सकते।

11. उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचन के ग्राम पंचायत सालावास द्वारा मिसल सं. 68/2008–09 में जारी पट्टा सं. 101 दिनांक 01.10.2008, संकल्प

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (ग्रामीण)
जोधपुर

संख्या 3 दिनांक 05.07.2008 विधि प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतएव यह निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सालावास पं.स. लूणी द्वारा मिसल सं. 68/2008–09 में जारी आवासीय पट्टा सं. 101, नाप 3000 वर्ग फीट (333.25 वर्ग गज) बहक लिछमनराम पुत्र मूलाराम मेघवाल निवासी सालावास खारिज किया जाता है तथा इस संबंध में पारित समस्त संकल्प दिनांक 05.05.2008, 20.05.2008, 20.06.2008, 05.07.2008 (संकल्प सं. 3) को भी अपास्त किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी पट्टा निरस्तीकरण का नोट पट्टा प्रति पर अंकित करे।

12. निर्णय की प्रति उप पंजीयक चतुर्थ, जोधपुर को बेचान दस्तावेज दिनांक 22.10.2010, पुस्तक संख्या 1, जिल्द 9, पृष्ठ सं. 40, कम सं. 201000164 (केता प्रभुराम पुत्र मांगीलाल, बेचानकर्ता लक्ष्मणराम) की कार्यालय प्रति पर पट्टा सं. 101 निरस्त होने का नोट लगाने हेतु भेजी जावे।
13. निर्णय की प्रति सहित मूल अभिलेख ग्राम पंचायत सालावास को पुनः लौटाया जावे।
14. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी को पंचायत समिति कार्यालय में मौजूद पट्टा की प्रति पर निरस्तीकरण का नोट अंकित करने हेतु भेजी जावे।
15. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:23 IST
Reason: SelfAttested